SHRI ARJUN ARORA : Sir, in reply to one of the supplementaries the learned Deputy Minister propounded a very dangerous doctrine. He said that if there is a breach of the Code of Discipline in 1964 or 1966, it will always be taken into consideration. Does he mean to say that a Union which commits a breach of the voluntary Code of Discipline once is debarred recognition for ever ?

SHRI P. C. SETHI : As far as the recognition accorded in 1964 was concerned the breach committed at that time was taken into consideration. What I had stated was against if the question of recognition arises any breach of the Code of Discipline during this year will be taken into consideration.

लखनऊ डिवीजन के एसिस्टेंट यार्ड मास्टरों के लिए रात में काम करने का भत्ता

*29. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में काम करने वाले एसिस्टेंट यार्ड मास्टरों को रात में काम करने का कोई भत्ता नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†[NIGHT DUTY ALLOWANCE FOR ASSISTANT YARD MASTERS IN LUCKNOW DIVISION

*29. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no night duty allowance is paid to the Assistant Yard Masters in the Lucknow Division of the Northern Railway; and

(b) if so, what are the reasons therefor ?]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) वे रात की ड्यूटी का भत्ता पाने के हकदार नहीं है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) They do not qualify for the payment of night duty allowance.]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच है कि रात्रि का भत्ता देने के लिये जो गज निर्धारित किया गया है उसमें एसिस्टेंट यार्ड मास्टर भी आ जाते हैं । और क्या उन्हें भी उतनी ही ट्रेनें देखनी पड़ती है जितनी कि इस गज के अन्तर्गत निश्चित की गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सही है कि जो एसिस्टेंट यार्ड मास्टर है वे इसी मापदंड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन लखनऊ डिवीजन में जो सुपरवाइजरी एसिस्टेंट यार्ड मास्टर हैं उनका सवाल अलग है क्योंकि वे सुपरवाइजरी काम के अन्तर्गत चले गये है और इसलिये उन्हें यह चीज नही मिलती है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मैं यह समझूं कि वे सुपरवाइजरी काम में चले गये हैं इसलिये उन्हें रात्रि में काम करने के लिये भत्ता नही मिलेगा ? क्या माननीय मंत्री जी इस विषमता के बारे में विचार करेंगे कि उन्हें रात्रि में काम करना पड़ता है और वे उसी मापदंड के अन्तर्गत काम करते है जो रेलवे कर्मचारियों के लिये निश्चित की गई है । इसलिए केवल नाम बदलने से उन्हें इस तरह की सुविधा से वंचित क्यों किया जा रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : रेलवे मंत्रालय ने जो मापदंड निश्चित किया है उसमें यह है कि जो चार्जमैन काम करते है उन्हें भत्ता मिलता है, लेकिन फोरमैन को नही मिलता है । इसी तरह से जो एसिस्टेंट यार्ड मास्टर काम करते हैं उन्हें रात्रि का भत्ता नहीं मिलता है । लेकिन चूंकि सुपरवाइजरी कैटेगरीवालों को नहीं मिलता है और अभी तक जो मापदंड चला आ रहा है उसी के मुताबिक इन्हें भी यही सुविधा दी जा रही है । ये जो एसिस्टेंट यार्ड मास्टर है उन्हें लगातार और इन्टैन्सिव ढंग से काम

†[ ]English translation.

नहीं करना पड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह जाते है, इसलिये उन्हें इस तरह का भत्ता नहीं दिया जाता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच है कि लखनऊ डिवीजन के अलावा नार्दर्न रेलवे के अन्य डिवीजनों पर जो एसिटेंट यार्ड मास्टर हैं उन्हें यह भत्ता मिलता है अगर मिलता है तो क्यों ?

डा० राम सुभग सिंह : मै स्वीकार करता हूं कि और जगह मिलता है क्योंकि लखनऊ डिवीजन के एसिस्टेंट यार्ड मास्टर सुपरवाइजरी काम में चले गये है, इसलिये उन्हें वह सुविधा नही मिलती है ।

SHRI P. K. KUMARAN : Sir, it is not a question of Lucknow Division only. Virtual anarchy prevails on the Indian Railways as far as night duty allowance is concerned. In certain sections where they have put certain yardsticks, while the S. M. gets the night duty allowance, the A.S.M. does not get it; while the Booking Clerk gets, the Ticket Collector does get, while the Yard Master gets it, the Assistant Yard Master does not get and so on. There is absolute anarchy.

AN HON. MEMBER : Question.

SHRI P. K. KUMARAN : Will the Minister please examine the whole problem and put down a yardstick so that all the persons who do night duty get some allowance ?

DR. RAM SUBHAG SINGH : I fail to understand why the hon. Member is afraid of anarchy; that is a somewhat well-known philosophy to him but I do not admit that there is anarchy in the Railways. Whatever system exists on the Railways...

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : ... is virtual anarchy.

DR. RAM SUBHAG SINGH : ...it is a system which was recommended by Justice Jagannath Das Pay Commission. They said that whoever is doing work of continuous application shall be entitled to such and such a facility and the S.Ms., A.S.Ms. and the Booking Clerks about whom the hon. Member made mention come under that category but this does not depend on being S.M. or A.S.M. or Booking Clerk; it depends on the amount of continuous or intensive work that they put in at a particular station and therefore what he characterised as anarchy is a well-regulated system as suggested by the Pay Commission.

श्री राज नारायण : क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि एसिस्टेंट यार्ड मास्टरों की कैटेगरी बदलकर सुपरवाइजरी कैटेगरी में जाने से भी काम का बोझ जाता है अगर काम का बोझ जाता है तो उन्हें नाइट भत्ता क्यों नहीं दिया जाता है ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में जो अब तक यहां पर व्यवस्था है उसमें यह समझा गया कि यहां पर जो काम है वह सुपरवाइजरी नेचर का है, कुछ हल्का काम है जिसमें लगातार और इन्टैन्सिव ढंग से दिमाग लगाने की जरूरत नही होती है और इसीलिये उन्हें यह भत्ता नही मिलता है ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान बतलायेंगे कि अन्य स्थानों पर, अन्य डिवीजनों पर जो यार्ड मास्टर इस तरह का सुपरवाइजरी का काम करते है अगर उन्हें रात्रि का भत्ता दिया जाता है, तो इसी डिवीजन के यार्ड मास्टरों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जाती है ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य ने नार्दर्न रेलवे के बारे में यह प्रश्न उठाया था और यह बात लखनऊ डिवीजन के बारे में है और यहां पर कोई असंगत बात नहीं है । अगर कोई असंगत बात होती है तो हम उसको मानने के लिए तैयार है । लेकिन रेलवे के सामने जो निर्धारित कार्यक्रम हैं उसमें यही स्थिति है ।

SHRI T. V. ANANDAN : After the recommendation of the Jagannath Das Commission a night duty allowance was introduced by the Railway Board by its letter of the 7th July 1962 wherein under the Operating Department the Assistant Yard Masters and Yard Masters are informed that tthey will be entitled to night duty allowance since they are continuous workers. As such the question is why in the Lucknow Division these Assistant Yard Masters are not granted night duty allowance.

DR. RAM SUBHAG SINGH : That I have already said in my Hindi reply. The Assistant Yard Masters, the Deputy Yard Masters,—there is a big list of such people—are all entitled to this but in the Lucknow Division, as I stated in Hindi, they are characterised as supervisory staff and so it is not being given to them.

रेगिस्तानी क्षेत्रों में तैनात रेल कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता

*30. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी स्थानों तथा अधिक वर्षा वाली जगहों में, जहां जीवन-यापन साधारणतया महंगा है, तैनात रेल कर्मचारियों को क्या विशेष भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पीने का पानी तक महंगा है, तैनात रेल कर्मचारियों की कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो, तो क्या रेगिस्तानी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को भी विशेष भत्ता देने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

†[SPECIAL ALLOWANCE FOR RAILWAY EMPLOYEES POSTED IN DESERT AREAS

*30 SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Railway employees posted at hilly places and at places with heavy rainfall where the standard of living is generally high are given special allowance;

(b) whether Government's attention has been drawn to the difficulties of the Railway employees posted in desert areas where even drinking water is costly; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, whether any proposal to extend the special allowance to employees posted in desert areas, is also under Government's consideration ?]

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जो रेल कर्मचारी समुद्री-तल से 1,000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित जगहों पर तैनात हैं, उन्हें प्रतिकर (पहाड़) भत्ता दिया जाता है। किसी स्थान पर केवल भारी वर्षा के कारण कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जाता।

(ख) रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष भत्ता देने के लिए कोई आवेदन या प्रतिवेदन नहीं मिला है।

(ग) सवाल नही उठता।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : (a) Railway Servants stationed at places which are at an altitude of 1,000 metres or above, above the sea level are allowed compensatory (hill) allowance. No special allowance is sanctioned at any place on account of hereby rainwall alone.

(b) No request or representation for any special allowance in desert areas has been received.

(c) Question does not arise.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : प्रश्न यह है कि जब ऊंचाई की जगहों पर आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिये और व्यक्ति के स्वास्थ्य को कायम रखने के लिये उसे विशेष खर्चा करना पड़ता है तो क्या मंत्री महोदय रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां अत्यधिक शीत और अत्यधिक

†[ ]English translation.